कौटिल्य का राज्य की उत्पति सिद्धान्त

कौटिल्य ने राज्य की उत्पति सिद्धान्त का संकेत दिया है। अर्थशास्त्र उपलब्ध वर्णन के अनुसार संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर दुःख और निरन्तर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राज पदको धारण करने तथा सम्प्रभु शक्ति के उपयोग के माध्यम से प्रजा के आवरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी, तथा निशिचत सिद्धान्तों के अनुसार अपनी आय और अर्जित सम्पदाओं में से निश्चित भाग 'कर' के रूप में राजा को प्रदान करेगी, ताकि उसे राजकीय दायित्वों का पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध हो सकें। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था, दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते।

राज्य की उत्पत्ति के विषय में कौटिल्य अपनी सुरक्षा द्वारा किये विवेचन में दो तथ्य अन्तर्निहित हैं--

1. राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम हैं, तथा मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिये स्वीकार किया है।

2. लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को, अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव, तथा 'मनु' द्वारा प्रथम शासक के रूप में एक प्रस्ताव को स्पीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है।

स्पष्ट है कि कौटिल्य ने आधुनिक अनुबंधवादी विचारकों (हॉब्स, लॉक व रूसो) की तरह ही राज्य को अनुबंध का परिणाम माना है।

कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था का जो चित्रण किया है वह हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलता-जुलता है। कौटिल्य ने कहा कि उस अवस्था में मत्स्य न्याय प्रचलित था। इस स्थिति में औचित्य का नहीं, अपितु भौतिक शक्ति का बोलबाला था। ऐसी किसी संस्था के अभाव में जो दुर्बलों की रक्षा कर सके, दुर्बलों को बलवानों द्वारा पीड़ित किया जाता था। किन्तु राज्य की उत्पत्ति के विषय में हॉब्स और कौटिल्य के विवेचन में महत्वपर्ण अन्तर भी विद्यमान हैं। हॉब्स ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था माना है। जिसमें न राज्य था, न समाज, और न ही उचित-अनुचित में भेद करने के लिये कोई मापदण्ड ही थे कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अपस्था नहीं, आजक अवस्था में समाज का भी अस्तिव था। कौटिल्य ने यह नहीं माना कि उस अवस्था में समाज का भी अस्तित्व नहीं था। कौटिल्य और हॉब्स के दृष्टिकोण के मध्य अन्तर का महत्व राज्य की प्रकृति के विवेचन में परिलक्षित होता है।

हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में समाज या औचित्य के मापदण्ड़ो का भी अस्तित्व न होने का परिणाम यह हुआ कि समाज की उत्पत्ति भी उसी समझौते के द्वारा हुई जिसके द्वारा हुई जिसके द्वारा राज्य उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राज्य अपने अस्तित्व में आने से पूर्व ही विद्यमान किन्हीं मापदण्डों को लागू करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ, अपितु औचित्य के मापदण्ड पहली बार राज्य द्वारा ही निर्धारित किये गये। इस प्रकार हॉब्स के अनुसार राज्य की शाक्ति अनियंत्रित हैं, क्योंकि राज्य के बिना कोई मापदण्ड हो ही नहीं सकते थे। इसके विपरित कौटिल्य ने स्पष्टतः प्रतिपादित किया है कि राज्य धर्म के द्वारा प्रजा के व्यवहार को नियंत्रित करता है। इस प्रकार 'धर्म' राजकीय शक्ति के प्रजा पर प्रयोग की स्वाभाविक मर्यादा है। यह महत्त्वपूर्ण है कि कौटिल्य राजय को 'धर्म' का सृजनकर्ता नहीं, अपितु धर्म का संरक्षक मानते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि राज्य के एक संस्था के रूप में उत्पन्न होने से पहले भी, धर्म नैतिक मूल्यों औचित्य के मापदण्डों तथा मानवीय आचरण के उपयोगी सिद्धान्तों के रूप में अस्तिव में था। उस समय केवल यह था कि धर्म को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस स्थिति के कारण मत्स्य न्याय प्रचलित हो गया था, तथा धर्म-बल की अपेक्षा, भौतिक अवलम्ब प्रदान कर दिया कि उसे दुष्ट, आततायी व समाज कंटक चुनौती नहीं दे सकें।